2013/00018

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्टचौहटन

पीठासीन अधिकारी–सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14/2013

अपीलांट
पटवारी हल्का जैसिन्दर
स्टेशन तहसील,शिव

बनाम

रेस्पोडेंट्स
1.तुलछाराम पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी राजोद तहसील जायल जिला नागोर
2.करनाराम पुत्र खेराजराम जाति मेघवाल निवासी सियालों का डेर सेड़वा
3.नानजीराम पुत्र उम्मेदाराम जाति गर्ग निवासी फागलिया तहसील सेड़वा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 26.02.2013 बमुकदमा संख्या 146/2008 द्वारा तहसीलदार,शिव

उपस्थितः–1. श्री कूंपाराम लोहार तहसीलदार चौहटन अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुनील के मेराजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक–03.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जैसिन्दर स्टेशन ने दिनांक 29.01.2008 को तहसीलदार शिव के समक्ष एक रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि खातेदार तुलछाराम द्वारा ग्राम पीथाकर तहसील शिव के खसरा नम्बर 410 रकबा 219.07 बीघा भूमि पर उसका कोई भौतिक कब्जा कब्जा नहीं रहा है और न ही उसे आज दिन तक इस ग्राम में देखा गया तथा मौके पर उसकी कृषि जोत पर किसी का कब्जा नहीं है इसलिये तुलछाराम के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। इस पर तहसीलदार,शिव ने रेस्पोडेंट तुलछाराम के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रकरण संख्या 146/2008 दर्ज रजिस्टर कर,बाद जॉच एंव सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2013 द्वारा खातेदार तुलछाराम के ग्राम पीथाकर की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 410 रकबा 219.07 बीघा का परित्याग करना नहीं पाया जाने से धारा 60 एंव 61 की कार्यवाही निरस्त कर दी। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हस्ताक्षर पक्षकारान

जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट की ओर से तहसीलदार चौहटन उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट पटवारी हल्का जैसिन्दध स्टेशन ने ग्राम पीथाकर के खेत खसरा नम्बर 410 रकबा 219.07 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट तुलछाराम की खातेदारी में होने और इस खातेदार का भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं होने एंव उसे ग्राम में नही देखने के आधार पर प्रकरण धारा 61 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस एंव उद्घोषणा जारी की गई। जारी नोटिस के जवाब में रेस्पोडेंट खातेदार तुलछाराम ने दिनांक 22.2.2013 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव के समक्ष होकर जवाब पेश कर वादग्रस्त भूमि पर काबिज होना एंव भूमि का परित्याग नहीं करना बताया है। जवाब के साथ में सकूनत एंव साक्ष्य के तौर पर पहचान पत्र भारतीय निर्वाचन नम्बर RJ/02/192/0234473,मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किये। धारा 60 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में वर्णित अवधि से पूर्व ही रेस्पोडेंट ने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध उप तहसीलदार गडरारोड की रिपोर्ट दिनांक 24.02.12 अनुसार रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना बताया है। इससे यह प्रकट होता है कि खातेदार ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार किया है एंव भूमि का परित्याग नहीं किया है। रेस्पोडेंट तुलछाराम द्वारा प्रस्तु सकुनत के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट तुलछाराम की पहचान संदिग्ध नहीं है। इस सम्बध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60(4)एंव 61 का अवलोकन किया गया। धारा 60 अनुसार यदि कोई अभिधारी अपनी जोत पर कृषि करने की व्यवस्था किये बिना ही उसे छोड देता है और जब वह पडोस छोडकर खेती करना बंद करता है,किन्तु उस भूमि पर खेती करने और उसका देय लगान देने की व्यवस्था नहीं करता,तभी उसके द्वारा अपने जोत का परित्याग

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करना समझा जा सकता है तथा धारा 60(4) के अधीन अपने भूधारक को नोटिस लिखित दिये बिना जोत को छोड देता है। धारा 61 अनुसार परित्यक्त समझी गई जोत का कब्जा लेने से पूर्व की प्रकिया का उल्लेख है जिसके अनुसार जब किसी अभिधारी के बारे में उसके द्वारा अपनी जोत का परित्याग किये जाने की उपधारण की जाये,जब तहसीलदार यथास्थिति, स्वप्रेरणा से या भूधारक के आवेदन पर,यह कथित करते हुए कि यदि इसके प्रतिकूल युक्तियुक्त कारण दर्शित न किया गया तो ऐसे अभिधारी की जोत परित्यक्त समझी जाने के लिये आशयित है और तदनुसार उस पर प्रवेश करने और कब्जा लेने का विचार है,एक उद्घोषणा जारी करायेगा और विहित रीति से उसकी तामिल या प्रकाशन करायेगा। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60(4)एंव 61 में तहसीलदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60(4) के तहत पाये जाने पर रेस्पोडेंट द्वारा धारा 61 एंव नियम 23 के प्रावधानुसार निर्धारित प्रपत्र में परित्याग की घोषणा जारी कर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो सही एंव उचित है। अतः तहसीलदार शिव ने बाद जॉच एंव विधिवत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2013 पारित किया गया है। इसमें कोई वैधानिक अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2013 यथावत रखा जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर